दिल्ली विधान सभा सिववालय समाचार भाग-2

१ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी १ शुक्रवार, ०५ अक्टुंबर, २००। ∕ आश्विन ।३, ।१२३४१ शक्र

संख्या : 167

सदस्या की नजरबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को डिप्टी कमीशनर, पुलिस मध्य जिला, दिल्ली, का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विद्यान सभा की माननीय सदस्या श्रीमती दर्शना राम कुमार को 03·10·2001 को 01.55 बजे दिल्ली पुलिस के अधिनियम 1978 की धारा-65के अर्तगत पुलिस के विधि सम्मत निर्देशों की अवका करने के कारण अक्शोक पहाड़ी करोल बाग, से नजरबन्द किया गया ।

उन्हें वहीं से उसी अर्थात 03·10·2001 को 0445 बजे रिहा कर दिया गया । एस•के•अर्मा

एस•के•**श**मां सिच्च

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & Other matters)
Friday October 5,2001/Ashwin 13,1923(Saka)

No. 167

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from Dy. Commissioner, of Police, Central Distt. Delhi.

"I have the honour to inform you that Smt. Darshan Ram Kumar, Hon'ble member of Legislative Assembly, Delhi was detained at Ashoka Pahari, Karol Bagh, Delhi u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police at 1.55 P.M. on 3.10.2001.

She was released at 4.45 P.M. on the same day i.e. 3.10.2001."